संख्या- 228/2023/3033/चार-2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2023

विषय:-लोक कलाकारों को ग्राम पंचायतों के समन्वय से वाद्ययंत्र-क्रय के लिए अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

भारत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में उत्तर प्रदेश का अवदान अतुलनीय है। हमारी विरासत हमारे समग्र उन्नयन का उत्स रही है। ऐसी समुन्नत विरासत को संरक्षित रखने, संवर्द्धित करने एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसे ऊर्जा प्रदान करने वाली महती शक्ति के रूप में अक्षुण्ण रखने का कार्य आंचलिक क्षेत्रों के जीवन्त कलाकारों द्वारा आज भी किया जा रहा है। ऐसी विचार प्रेरक पृष्ठ भूमि में शासन स्तर पर यह अभिमत बना है कि समस्त आंचलिक क्षेत्रों में संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाली समस्त सांस्कृतिक मण्डलियों को मानवर्द्धन स्वरूप वाद्ययंत्र इत्यादि प्रदान किये जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, प्रशिक्षण, प्रस्तुतीकरण एवं गुरू-शिष्य परम्परा के निर्वहन हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र उपलब्ध कराने हेतु संस्कृति विभाग, उ0प्र0 द्वारा निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(अ) ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना

(1) योजना के अन्तर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को एक सेट वाद्ययंत्र (हारमोनियम, ढोलक, झांज, मंजीरा, करताल अथवा घुंघरू इत्यादि) की खरीद हेतु संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

(2) वाद्ययंत्र के एक सेट (हारमोनियम, ढोलक, झांज, मंजीरा, करताल अथवा घुंघरू इत्यादि) की खरीद हेतु एक सेट वाद्ययंत्र की धनराशि रू0 30,000/- से अधिक होने पर संस्कृति विभाग, उ०प्र० द्वारा रू0 15,000/- तक का अधिकतम अनुदान सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दिया जायेगा, शेष धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा वहन की जायेगी।

(3) वाद्ययंत्रों के सेट पर संस्कृति विभाग, उ०प्र० का नाम अंकन कराया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रथम चरण में जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक जनपद की 50 ग्राम पंचायतों, जहाँ सांस्कृतिक गतिविधियाँ निरन्तर संचालित की जाती हों, का चयन कर संस्कृति विभाग, उ०प्र० को संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा। जिलाधिकारी से पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में विभाग द्वारा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से अग्रसारित आवेदन पत्र सीधे भी स्वीकार किये जा सकेंगे।

(5) उ0प्र0 के ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन हेतु चयनित 229 ग्राम को सम्मिलित किया जायेगा।

(6) पूर्व से भजन कीर्तन मण्डली / गुरू शिष्य परम्परा, स्थानीय लोकगीत / लोकनृत्य, भजन, संस्कार गीत, नुक्कड़ नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करने वाली ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी ।

(7) आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ क्रय किये जाने वाले वाद्ययंत्रों का विवरण तथा क्रय इस्टीमेट मूल रूप में संलग्न करना होगा।

(8) अनुदान की धनराशि सीधे आवेदक ग्राम पंचायत के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

(9) विभाग से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् एक माह के अन्दर वाद्ययंत्रों का क्रय करके बीजक एवं वाद्ययंत्रों के छायाचित्र संस्कृति विभाग, उ०प्र० को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में वसूली की कार्यवाही करने का अधिकार निदेशक, संस्कृति के पास सुरक्षित रहेगा।

(10) वाद्ययंत्रों के रखरखाव एवं मरम्मत का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत का होगा।

(11) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा माँगे जाने पर वाद्ययंत्र सांस्कृतिक आयोजनों हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे जिसका अंकन एक पृथक् रजिस्टर में किया जायेगा।

(12) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये सांस्कृतिक आयोजनों का विवरण संस्कृति विभाग को प्रेषित करना होगा।

(13) वाद्ययंत्रों का क्रय केन्द्रीय व्यवस्था के तहत किया जायेगा।

<u>(ब) वाद्ययंत्रों का उपयोग</u>

उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक उन्नयन, सांस्कृतिक विरासत का रक्षण, पर्यटन संवर्धन, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ग्रामीण संस्कृति को अक्षुण्ण रखने तथा सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी योजनाओं के प्रचार-प्रसार इत्यादि हेतु।

<u>(स) पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया</u>

जिलाधिकारी/जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उत्तर प्रदेश की संस्तुति के क्रम में उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण करने वाले दल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थानधारक को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार हेतु निम्नानुसार गठित समिति द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0- अध्यक्ष
(2) वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0- सदस्य
(3) जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ सदस्य
(4) निदेशक, संस्कृति द्वारा नामित सहायक निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 सदस्य सचिव

(द) पुरस्कार राशि

(1) प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को रू0 51,000/-
(2) द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को रू0 21,000/-
(3) तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को रू0 11,000/-

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमरनाथ उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।